पारसमल विरूद्ध शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3006–एक/14 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.2.18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार नागदा के प्र0क0 27/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18–6–13 एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदपन दिनांक 30–6–14 से असंतुष्ट होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । जहां तक तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–6–13 का प्रश्न है उक्त आदेश द्वारा तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं । तहसीलदार के उक्त निर्देश के पालन में राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 30–6–14 को तहसीलदार को प्रस्तुत किया है । विचारण न्यायालय का कोई आदेश नहीं है । सीमांकन पर आवेदक को यदि कोई आपत्ति थी तो उसे अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना था जो न करते हुए सीधे इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है जो न्यायिक प्रकिया का एक तरह से दुरूप्योग है । ऐसी स्थिति में यह पुनरीक्षण ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3006-I/14

1 पारसमल पिता नेमिचंद कोठारी

द्वारा :मु.आ.प्रकाशचंद्र पिता पारसमल कोठारी

निवासी जावरा हाल मुकाम पाडल्या

तह नागदा जिला उज्जैन

——— आवेदक

विरूद्ध

1 म.प्र.शासन आदि

द्वारा : तहसीलदार नागदा

2 राजेन्द्र पिता कन्हैयालाल गुर्जर

निवसी ग्राम पाडल्याकलां तह नागदा जिला उज्जेन

——— अनावेदक

3-9-14

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार, नागदा के प्रकरण क्रमांक 27/अ—12/2013—14 मे दिये गये आदेश दिनांक 18.6.2013 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दि 30.6.14 से असंतुष्ट होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है:—